कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

शासन के पत्रांक प.17(11) शिक्षा–2/अन्तर–जिला स्था/2016 पार्ट–2 जयपुर दिनांक 19.07.2018 के क्रम में निम्नांकित तृतीय श्रेणी अध्यापकों एवं समकक्ष का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किये जाते हैं। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित / स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 07/08/2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

SR	NAME	POST	SUB	वर्तमान पदस्थापन स्थान	DIST	स्थानान्तरित स्थान	DIST
1	सुनिता सिंह	Teacher L-II	Hindi	राजकीय के0जी0बी0 आवासीय विद्यालय राजगढ़ चूरू	Churu	राउमावि कांट अलसीसर	Jhunjhunu
2	SMT. NIVEDITA SHARMA	Teacher (III Gr.) Level 2	Hindi	राउमावि कैथूदा–तालेडा बूंदी से राउमावि दादाबाड़ी कोटा के आदेश पर स्थानान्तरणाधीन	BUNDI	GOVT. SR. SEC BALIKA TALERA (08230405612)	BUNDI

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन जारी किये जाते है। उक्त स्थानान्तरण आदेशों में कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण से पूर्व निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चत की जावें। शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर सम्बन्धित संबंधित संस्था प्रधान एवं कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी :–

1 माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलंबित कार्मिक को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं कराया जावें साथ ही ऐसे प्रकरण को तत्काल निदेशालय के ध्यान में लाया जावें ।

2 ऐसे अध्यापक जिनकी प्रथम नियुक्ति 31/12/2012 के पश्चात की हो तो उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

3 प्रतिबंधित जिले से गैर प्रतिबंधित जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति दिनांक 31/12/2008 के पश्चात की हो तो उन्हे कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें, किन्तु 31/12/2008 अथवा उससे पूर्व नियुक्ति अध्यापक का अन्तर जिला स्थानान्तरण प्रतिबन्धित से गैर प्रतिबन्धित जिले में किये जाने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जा सकेगा।

4 स्थानान्तरण आदेश में पंचायतीराज विभाग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिको को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करवाया जावें ।

5 यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यकता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से विकलांग/गंभीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण)/परिवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणीयों में आ रहे हो एवं स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त होकर आता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें ।

6 टीएसपी क्षेत्र से नॉनटीएसपी में स्थानान्तरण प्रकरण हो तो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

7 लेवल–1 के अध्यापकों को लेवल–1 पर एवं लेवल–2 के अध्यापकों को लेवल–2 के पद के लिए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावें । लेवल–2 के अध्यापकों को सम्बन्धित विषय (अर्थात गणित/विज्ञान के शिक्षक को गणित/विज्ञान के पद पर, अंग्रेजी के शिक्षक को अंग्रेजी के पद पर, हिन्दी के शिक्षक को हिन्दी के पद पर, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान के पद पर तथा तृतीय भाषा के शिक्षक को सम्बन्धित तृतीय भाषा के पद पर) के पद पर ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराया जावें।

8 माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में कार्यरत अध्यापक का स्थानान्तरण प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में होने पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

9 स्वैच्छा से अन्तर जिला स्थानान्तरित कार्मिको को योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

10 यदि उक्त प्रकरणों में कोई प्रकरण सीधी भीर्ति से पदस्थापित परीवीक्षाधीन अध्यापक का हो तो कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया/करवाया जावें ।

11 शिक्षक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण के समय कार्मिक की स्वैच्छा से स्थानान्तरण होने के कारण पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन एवं स्थानान्तरित जिले में वरिष्ठता कनिष्ठतम होने संबंधित सहमति का शपथ पत्र लिया जावे अन्यथा कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें ।

12 राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित शिक्षकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराया जावें) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावें ।

13 स्थानान्तरित कार्मिक को शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावें ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/तृतीय श्रेणी/स्थानान्तरण/वोल–1/कैम्प जयपर/18 दिनांक- 30/7/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप–2 विभाग राजस्थान जयपुर।

2 समस्त उप निदेशक,, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले से अन्य जिले में स्थानान्तरित अध्यापक व समकक्ष की वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र–6 जारी कर) की कार्यवाही करें एवं अन्य जिले से आपके जिले में स्थानान्तरित अध्यापकव समकक्ष की वरिष्ठता के संबंध में संबंधित कार्मिक का जिलो परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के नियम–29 के परन्तुक 10 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन जिले में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये जिले में कनिष्ठतम के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित किया जाना सुनिश्चित करावें ।

4 संबंधित संस्था प्रधान /कार्मिक।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner